



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57629-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9392 वर्ष 2026

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमित शुक्ला, नीलेश केशारवानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित शुक्ला और राज्य प्रतिवादी के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. शाही की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:-

"क) प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), मुरादाबाद को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे मुकदमा संख्या 4806/2025 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या डी202513540004806) "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम योगेश कुमार वर्मा और अन्य", जो याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), मुरादाबाद की न्यायालय में (सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत) दायर किया गया है, पर कानून के अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।"

3. याचिकाकर्ता/सुरक्षित लेनदार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि निर्धारित प्राधिकारी की जांच का दायरा केवल सुरक्षित संपत्तियों तक ही सीमित है, जो उस उद्देश्य के लिए अधिसूचना में निर्धारित क्षेत्र के अनुसार है, और यह जांच करने तक सीमित है कि क्या सुरक्षित संपत्तियां केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं या नहीं। यदि ये अनुपालन पाए जाते हैं, तो निर्धारित प्राधिकारी को सुरक्षित लेनदारों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की सत्यता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध उपायों का पालन करने के लिए अपनाई गई हैं। वह आवेदन को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऐसी तथ्य-खोज जांच में नहीं जा सकता।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.10.2024 की अधिसूचना के माध्यम से निर्देश जारी किए गए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं कि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर आवेदनों का प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस पीठ के हाल के फैसले की ओर दिलाया, जो कई मामलों से संबंधित है, जिनमें प्रमुख रिट याचिका संख्या 42608/2025 (मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) (न्यूट्रल साइटेशन 2026:एचसी:6598-डीबी) है, जिसका निर्णय दिनांक 12.01.2026 को हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 24 से 28 और 37 से 41 के माध्यम से न्यायालय ने यह कहा है:-

“24. उपर्युक्त रिपोर्ट में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 में साठ दिनों तक विस्तार प्रदान करने के प्रावधान को जोड़ने का कारण स्पष्ट किया गया है, जो कि कुछ विशेष आपात स्थितियों से निपटने के लिए जोड़ा गया है और इससे भी अधिक की देरी को कानून निर्माताओं के इरादे के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। रिपोर्ट का प्रासंगिक अनुच्छेद संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है।

“25. सीएमएम या डीएम द्वारा कारणों का अभिलेखन - खंड 12 (मुख्य अधिनियम की धारा 14(1) के द्वितीय परंतुक के बाद परंतुक का सम्मिलन)।

समिति ने मुख्य अधिनियम की धारा 14(1) के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ने का निर्णय लिया, ताकि मुख्य अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश पारित करने के लिए सीएमएम/डीएम को कुछ आपात स्थितियों से निपटने हेतु समय का और विस्तार प्रदान किया जा सके:

इसके अलावा, यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि इस उपधारा के अंतर्गत आदेश तीस दिनों के भीतर पारित नहीं किया जा सकता है, तो वह इसके कारणों को दर्ज अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के बाद, कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है।"

25. संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का उपयोग कानून निर्माताओं के इरादे को समझने के लिए किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में इसे लगातार स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल्पना मेहता बनाम भारत संघ, (2018) 7 एससीसी 1 में विभिन्न संसदीय कार्यवाहियों पर बाह्य सहायता के रूप में निर्भरता के मुद्दे पर चर्चा की है और निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"123. आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले [आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, (1984) 2 एससीसी 183 : 1984 एससीसी (क्रिमिनल) 172] मामले में एक संविधान पीठ ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और कानून में हुए विकास का हवाला देते हुए यह राय व्यक्त की कि अपवर्जन नियम अपनी जन्मभूमि में ही अपनी अंतिम लौ में फड़फड़ा रहा है और इस न्यायालय द्वारा इसे उचित अंत दिया गया है। संविधान पीठ ने आगे कहा कि संविधान के सभी सिद्धांतों का मूल उद्देश्य संसद के इरादे को उचित निश्चितता के साथ सुनिश्चित करना है और इस उद्देश्य के लिए, विशेष समिति की रिपोर्ट जैसी बाहरी सहायता, जो अधिनियमन से पहले बनाई गई हो, कानून की मौजूदा स्थिति, कानून के अधिनियमन को आवश्यक बनाने वाला वातावरण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य आदि, जिनका लाभ संसद उठाती है, न्यायालय को नहीं दी जानी चाहिए, जिसका प्राथमिक कार्य विधायिका के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाना है। कानून बनाना। न्यायालय का यह मत था कि इस प्रकार का इनकार न्यायालय को व्याख्या में सहायक एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट सहायता से वंचित कर देगा, और इसलिए न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों से अलग हटकर यह निर्णय लिया कि किसी कानून के अधिनियमन से पहले गठित समितियों की अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समितियों की रिपोर्ट और सूचना एकत्र करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को व्याख्या में सहायक बाह्य सामग्री के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

26. उपरोक्त के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि धारा 14 जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) के परंतुकों के तहत निर्धारित वैधानिक शर्तों की संतुष्टि पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार देती है। धारा 14 के तहत निर्वहन किए जाने वाले कार्य की प्रकृति बहुत विशिष्ट है। प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट का कार्य वैधानिक आवश्यकताओं के साथ तथ्यात्मक अनुपालन के सत्यापन तक ही सीमित है। विधायिका ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया है कि सहायक चुनौतियाँ प्रवर्तन प्रक्रिया में बाधा न डालें, ऐसे मुद्दों को धारा 17 सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए आरक्षित रखा गया है।

27. शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानते हुए, विधानमंडल ने धारा 14 के तहत आवेदनों के निपटान के लिए समयसीमा निर्धारित की है। समयसीमा का समावेश विधायी आशय का स्पष्ट प्रतिबिंब है कि ऐसे आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए और उन्हें अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि समयसीमा का विस्तार केवल कुछ आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 में दी गई समयसीमा की व्याख्या की है और सी. ब्राइट बनाम जिला कलेक्टर और अन्य (2021) 2 एससीसी 392 में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रदान की गई अधिकतम सीमा से संबंधित मामले में यह माना है कि समयसीमा निर्देशात्मक प्रकृति की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28. सी. ब्राइट (उपरोक्त) मामले में न्यायालय उस स्थिति से निपट रहा था जहाँ अधिकतम साठ दिनों के बाद मजिस्ट्रेट की शक्ति पर विचार किया जा रहा था और समयसीमा को निर्देशात्मक मानते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि:

“21. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था, ताकि उन्हें गिरवी रखी संपत्तियों पर कब्ज़ा करने और उन्हें बेचने का अधिकार प्राप्त हो सके। डीआरटी अधिनियम सर्वप्रथम सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसलिए, विचाराधीन अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस न्यायालय ने मर्डिया केमिकल्स®, ट्रांसकोर® और हिंडन फोर्ज (पी) लिमिटेड के मामले में यह माना है कि अधिनियम का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बकाया की शीघ्र वसूली से संबंधित है। विधायिका का वास्तविक उद्देश्य यहाँ एक निर्णायक कारक है। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि प्राधिकरण को गिरवी रखी संपत्तियों पर कब्ज़ा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। हालाँकि, कब्ज़ा करने में असमर्थता समय सीमा के भीतर कब्ज़ा मिलने से जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। सुरक्षित लेनदार का जिला मजिस्ट्रेट पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो सार्वजनिक हित में सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुगम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन पर विचार किए बिना शाब्दिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। यदि धारा 14 की भाषा की कोई अन्य व्याख्या की जाती है, तो वह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगी। समय सीमा का उद्देश्य लेनदारों में यह विश्वास जगाना है कि जिला मजिस्ट्रेट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कब्ज़ा सौंपने का प्रयास करेगा, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य भी है कि वह 60 दिनों के भीतर कारण दर्ज करते हुए, ईमानदारी से प्रयास करे। इस संदर्भ में, यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्ज़ा सौंपने में असमर्थ है, तो अधिनियम की धारा 14 के तहत उपाय निरर्थक नहीं हो जाता। जिला मजिस्ट्रेट पर अभी भी यथाशीघ्र कब्ज़ा सौंपने की सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य होगा।

37. विधिक प्रावधानों और कानूनी सिद्धांतों पर उचित विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करने का अधिकार एक मौलिक विधिक उपाय है और इस पर विचार करने में अत्यधिक देरी ऐसे उपाय से वंचित करने के समान है, जो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। धारा 14 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने में देरी से सुरक्षित संपत्ति पर प्रतिस्पर्धी दावे, कुर्की या भार का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे धारा 26ई के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विधिक प्राथमिकता कमजोर हो सकती है। ऐसा परिणाम पूरी तरह से विधायी उद्देश्य के विपरीत होगा।

38. इस न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 7126/2021, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य के मामले में 24.08.2021 को रिट याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर पूरी की जाए, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी स्थगन आदेश के रूप में कोई कानूनी बाधा न हो। इस न्यायालय ने आगे निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

“इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में याचिकाएँ आने के मद्देनजर, हम उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हैं कि वे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दायर सभी लंबित आवेदनों का रिकॉर्ड/रजिस्टर रखें, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को (पखवाड़े के आधार पर) उस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिले में किए गए ऐसे सभी आवेदनों की जानकारी और उस समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

उक्त रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर विधिवत निरीक्षण किया जा सकता है और उस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। इस रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक आवेदन की लंबित अवधि सहित इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सारणीबद्ध रूप में भेजी जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिनियम की आवश्यकता का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और रजिस्ट्रार इसे ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित उपयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देश आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही में आम तौर पर कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा से बहुत अधिक देरी हो रही है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी उत्पन्न होती है और अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और प्रयागराज स्थित ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण को इसकी सूचना दी जा सके और वे इसका अनुपालन कर सकें। साथ ही, इस आदेश की एक प्रति ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित उपयुक्त समिति के समक्ष रखी जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है, और इसीलिए इसी प्रकार के मामले नियमित रूप से इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत दायर आवेदनों पर समय पर आदेश पारित किया जा रहा है।

40. धारा 14, 26डी और 26ई के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। सुरक्षित लेनदारों को प्रदत्त वैधानिक प्राथमिकता केवल घोषणात्मक नहीं बल्कि परिचालनात्मक है, और यह अनिवार्य रूप से कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय पर सुविधा प्रदान करने की पूर्वधारणा रखती है।

41. उपर्युक्त वैधानिक योजना को देखते हुए, धारा 14 के अंतर्गत सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कार्य को बिना किसी स्पष्टीकरण के विलंबित नहीं किया जा सकता। हमारा यह मत है कि याचिकाकर्ता-वित्तीय संस्था ने इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट मामला प्रस्तुत किया है। आवेदन का लंबित रहना अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है और उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।”

5. अतः, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, हमें जिला मजिस्ट्रेट/निर्धारित प्राधिकारी (जो भी हो) द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर आवेदनों को बिना किसी उचित कारण के लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त के मददेनजर, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/निर्धारित प्राधिकारी (जो भी हो) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत लंबित आवेदन का निस्तारण करें, सुरक्षित लेनदार, अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा धारा 14 के तहत दायर आवेदन का, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, उपरोक्त अनुच्छेदों में वर्णित कानून के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

20 मार्च 2026

आत्मेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।